तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज ओमप्रकाश बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 52/2020	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.06..20	दिनांक 23.03.2020 से दिनांक 31.05.20 तक लोकडाउन घोषित होने से पत्रावली आज पेशी पर ली गई। संक्षित में अपील इस प्रकार है कि अपीलार्थी ओमप्रकाश पुत्र स्व. मांगीलाल, पता अखिल भारतीय किसान सभा कार्यालय गांधी टॉवर, चौथी मंजिल, गांधी अस्पताल के सामने, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 24.10.19 में उसके द्वारा (1) जोधपुर तहसील मौजा पालासनी में राजस्थान सरकार के आदेश की पालना में सेकीकेशन का कार्य लम्बित समय से चल रहा है, 1–आज दिनांक तक कुल कितने खातों का सेक्रीकेशन (जमाबंदी) में पूर्ण कर दिया गया है व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम, जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा मूल प्रार्थना पत्र तहसीलदार जोधपुर को स्थानान्तरित कर दिया गया तथा तहसीलदार जोधपुर ने अपने जरिये पत्रांक 92 दिनांक 30.01.2020 सूचना प्रेषित गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थीपक्ष अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(तहसीलदार जोधपुर) से आज दिनांक तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अपीलार्थी ने अपील में बतलाया कि आवेदन में दर्शायी गई सारणी में सभी खसरान की सूचना बिन्दु संख्या–1 में खसरान के दर्ज सम्पूर्ण नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रतियां चाही गई थी, हलका पटवारी ने 84 नामान्तकरण की प्रतियां उपलब्ध करवाई है, परन्तु इनके अलावा शेष अन्य नामान्तरकरण उक्त पुस्तिका में दर्ज नहीं है, का प्रमाण पत्र दिलाया जाय, चूंकि इस बाबत् पूर्व में उक्त सूचना अपीलार्थी ने नहीं मांगी गई अतः अपील स्टेज पर नई सूचना दिलाया जाने का प्रावधान नहीं है। बिन्दु संख्या– 3 की सूचना हलका पटवारी ने खसरा गिरदावरी के चौसालों के मूल स्वरूप में छाया प्रतियों नहीं देकर हाथ से आंशिक नकल बनाकर दी गई अतः गिरदावरी चौसाला की मूल प्रतियां की प्रमाणित छाया प्रतियां दिलाई जाय। चूंकि अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा दर्शायी गई सारणी में अंकित खसरा नं0 की गिरदावरी की सूचना चाही गई अतः संबंधित खसरा नम्बर की पटवारी द्वारा हाथ से तैयार कर दी गई, वो गलत नहीं मानी जा सकती। अतः अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य है, जो निरस्त की जाती है। जहां तक खसरा गिरदावरी चौसाला के मूल स्वरूप में छाया प्रतियां के रूप में प्राप्त करना चाहते है तो राज्य सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र कमांक प.20(84) प्रसु./सूअप्र. लगातार	

/2009 पार्ट जयपुर दिनांक 12.10.2018 के अनुसार किसी विशेष अधिनियम में दस्तावेजों की प्रतिलिपि लेने हेतु अथवा उनके निरीक्षण हेतु कोई विशेष शुल्क निर्धारित है तो ऐसी स्थिति में उसके अनुसार शुल्क लेना चाहिए अर्थात् ऐसे दस्तावेज पर शुल्क सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधान लागू नहीं होना कहा। अतः खसरा गिरदावरी चौसाला के मूल स्वरूप में छाया प्रतियां अपीलार्थी/प्रार्थी प्राप्त करना चाहता है तो उसे राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम, 1957 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित शुल्क जमा कराकर प्राप्त कर सकता है। उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।